राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकःप.10(2)आयो / ग्रुप–5 / 2015

जयपुर, दिनांकः 28.12.2016

:: परिपत्र ::

वर्तमान में विभागों के योजना मदों में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु मांग संख्या 51 एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु मांग संख्या 30 के अन्तर्गत प्रावधान किए जाते रहे है। मुख्यतः अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए लघु शीर्ष 789 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु लघु शीर्ष 796 के अन्तर्गत प्रावधान किए जाते है, किन्तु कतिपय मामलों में संबंधित लघु शीर्षों के नीचे भी अन्य संबंधित मांग संख्या 51 या 30 में दर्शाते हुए ऐसे प्रावधान किए गए है। इस प्रकार पृथक प्रावधान करने के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं का वास्तविक लाभ इन वर्गों को आवश्यक रूप से मिल सके।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 से आयोजना एवं गैर आयोजना व्यय का अन्तर समाप्त किया जाकर, व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व व पूंजीगत मदों के अन्तर्गत किया जावेगा। अतः आगामी वर्ष से बजट में राजस्व एवं पूंजीगत मदों की समस्त योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक–पृथक प्रावधान, राज्य की कुल जनसंख्या में, उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का राज्य में अनुपात क्रमशः 17.83 एवं 13.48 प्रतिशत है।

आगामी वर्ष से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उपयुक्त प्रावधान कराने हेतु, पूर्व में आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 06.02.2012 को जारी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. वृहद् आधारभूत संरचना निर्माण :–

1.1 वृहद् आधारभूत संरचना यथा नहर निर्माण, बड़ी पेयजल योजना, विद्युत उत्पादन संयंत्र, बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, मण्डी आदि से लाभान्वितों की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए। उदाहरणार्थ :–

(i) विद्युत उत्पादन संयंत्र, बड़ी ट्रांसमिशन लाइन के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के आधार पर राशि का प्रावधान कराया जाये।

(ii) मण्डी इत्यादि से लाभान्वित होने वाली कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/जनजाति के जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राशि का प्रावधान कराया जाये, जैसे लाभान्वित होने वाले गाँवो में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20 प्रतिशत है तो प्रावधान की जाने वाली कुल राशि में से 20 प्रतिशत का प्रावधान अनुसूचित जाति मद मे कराया जाए।

1.2 वृहद क्षेत्र में विस्तारित आधारभूत संरचना (Infrastructure Spread over Areas) यथा नहर, सब–ट्रांसमिशन लाइन आदि मामलों में इन संरचनाओं के रास्ते में पड़ने वाले एवं लाभान्वित होने वाले गाँवों/कस्बों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

1.3 राज्य भर में विस्तारित परन्तु विशिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली आधारभूत संरचनाओं यथा सड़कों के मामले में प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु के मध्य स्थित एवं लाभान्वित होने वाले गाँवो/कस्बों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए। उदाहरणार्थः–

(i) ग्राम सड़क के संदर्भ में लाभान्वित होने वाले गाँव की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

(ii) मुख्य जिला सड़कें/अन्य जिला सड़क के संदर्भ में लाभान्वित होने वाले गाँवो/कस्बों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

(iii) राज्य राजमार्गों के संदर्भ में लाभान्वित होने वाले जिलों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

1.4 क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं में योजना द्वारा लाभान्वित गाँवो की जनसंख्या के अनुपात में तथा अन्तरजिला योजनाओं से लाभान्वित विकास खण्डों/पंचायतों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

2. अन्य/लघु आधारभूत संरचना निर्माणः–

2.1 **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र** यथा सम्बल ग्राम, अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्रों में क्षेत्र आधारित योजनाओं में व्यय की जाने वाली राशि का वर्गीकरण पूर्व निर्देशानुसार होगा।

तत्कालीन योजना आयोग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम–13054/1/2008–SCSP TSP दिनांक 18 अगस्त, 2009 के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र माना गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत संरचना पर होने वाला समस्त व्यय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मदों के अन्तर्गत प्रावधित तथा तदनुसार ही व्यय किया जाएगा।

2.2 **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों** में निम्नलिखित बिन्दुओं का दृष्टिगत रखते हुए प्रावधान किये जायेंगे एवं तदनुसार व्यय किया जाएगा:–

(i) स्थान विशेष/कलस्टर जनसंख्या हेतु लघु आधारभूत सरचना जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एनिकट, सड़क एवं हैण्डपम्प आदि पर प्रस्तावित व्यय का प्रावधान लाभान्वित होने वाली जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कराया जाए, उदाहरणार्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लाभान्वित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राशि का प्रावधान कराया जाए।

(ii) व्यक्तियों के नामांकन/पंजीकरण के आधार पर प्रदान की जा रही आधारभूत सुविधाओं जिनमें विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि शामिल है, के माध्यम से लाभान्वितों के नामांकन के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाये।

नोटः– उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत एक ही इकाई के विभिन्न मदों में विभाजन के स्थान पर प्रयास यह होना चाहिए कि लाभान्वितों में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए, उस इकाई का सम्पूर्ण व्यय एक ही बजट मद अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति मदों में दर्शाया जाए। उदाहरणार्थ, यदि क्षेत्र विशेष मे 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाना है तो इन सभी केन्द्रों से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या के अनुपात में, सभी 10 केन्द्रों की व्यय राशि को सामान्य/अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति मदों में विभाजित किया जाये। जनसंख्या की गणना के आधार पर यदि इन 10 केन्द्रों का विभाजन 7 सामान्य के लिए, 2 अनुसूचित जाति एवं 1 अनूसूचित जनजाति के लिए होता है तो इनके व्यय का अनुपात 7:2:1 होगा। इसी प्रकार 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सम्पूर्ण व्यय सामान्य, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सम्पूर्ण व्यय अनुसूचित जाति तथा 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सम्पूर्ण व्यय अनुसूचित जनजाति मदों में दर्शाया

जाए। इस प्रकार एक इकाई का समस्त व्यय एक जगह दर्शाने से लेखांकन में कठिनाई नहीं आएगी।

3. **व्यक्तिगत/वर्ग आधारित समूह लाभ की योजनाऐं :–**

3.1 व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

3.2 वर्ग आधारित समूह के रूप में लाभान्वित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही योजनाओं, जिनमे स्वय सहायता समूह, छात्रावास इत्यादि शामिल है, से सम्बन्धित कार्यों पर लाभान्वित समूहों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अनुपात में राशि का प्रावधान कराया जाए।

4. **संस्थापन व्यय:** संस्थापन सम्बन्धी व्यय, जिसमें वेतन, यात्रा, चिकित्सा, कार्यालय, वाहन संधारण इत्यादि व्यय शामिल हैं, अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना से सम्बन्धित राशि का प्रावधान विभाग द्वारा लाभांवित किये जाने वाली संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अनुपात में किया जायेगा। यह अनुपात राज्य स्तर पर किया जायेगा, तथा इसे क्रियान्वित करने में सरलता लाने के लिए यह प्रयास होना चाहिए कि एक कार्यालय/इकाई का समस्त संस्थापन व्यय यथासम्भव एक ही बजट मद–सामान्य/अनुसूचित जाति उपयोजना/ अनुसूचित जनजाति उपयोजना में कराया जाए।

विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग के बजट प्रस्ताव तैयार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मदों में प्रावधान किए जाने हेतु जारी दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। नवीन योजनाएं/प्रस्ताव तैयार करते समय, जहां इन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है, उन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं तैयार कर स्वीकृत कराया जाए एवं जनसंख्या के अनुपात की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए ही योजनाएं लागू की जाए।

राज्य की समस्त योजनाओं/परियोजनाओं में आपसी अतिव्यापन (overlapping) रोके जाने के उद्देश्य तथा ऐसी योजनाएं जिनकी आज अधिक उपयोगिता नहीं रह गई है, का पुनरावलोकन (review) किया जाना भी आवश्यक है। सभी प्रशासनिक विभाग इस हेतु अपने स्तर पर आंतरिक परीक्षण कर राज्य की योजनाओं की क्रियान्विति एवं उस योजना के उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता के दृष्टिकोण से परीक्षण कर योजनावार रिपोर्ट आयोजना विभाग को प्रेषित करेंगे।

केन्द्र सरकार के समान ही राज्य सरकार भी आयोजना भिन्न एवं आयोजना व्यय के अन्तर को समाप्त करने के साथ ही राज्य की योजनाओं (schemes) / परियोजनाओं (projects) पर किये जा रहे व्यय को दो भागों में विभक्त करने का प्रयास करेगा।

I. योजनाओं / परियोजनाओं में से विभागों का संस्थापन व्यय

II. संस्थापन व्यय के अतिरिक्त योजना पर व्यय

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सभी विभागों से आग्रह है कि वे वर्ष 2016–17 (RE) की आयोजना हेतु बजट निर्णायक समिति की बैठक के उपरान्त सात दिवस में योजनावार वर्गीकरण की सूचना आयोजना विभाग को उपलब्ध करवायेंगे।

समस्त विभागों से योजनाओं के वर्गीकरण की सूचना आयोजना विभाग को प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 से ऐसा वर्गीकरण किया जाना संभव हो सके इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक बजट मद इत्यादि खोले जाने की कार्यवाही समय रहते पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिला कलक्टर।

28/11/2016
संयुक्त सचिव,
आयोजना–वित्त

अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जाति विकास हेतु राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य योजनान्तर्गत व्यय सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयोजना मद में मांग संख्या 51 के अर्न्तगत बजट उप शीर्ष 789 खोलकर बजट में अलग से प्रावधान कियें जा रहे हैं तथा आयोजना विभाग द्वारा इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत विकास से सम्बद्व प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी चिन्हित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभांवित करने के लिए आवश्यक धन राशि एवं परिवार संख्या का लक्ष्य रखा जाता है, ताकि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों का उपयुक्त लाभ अनुसूचित जातियों तक पहुचाया जा सके एवं विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सकें। अनुसूचित जाति उप योजना वास्तव में राज्य योजना में एक योजना है। इस योजना में विभागों द्वारा जो प्रवाह सृजित किया जाता है वह राज्य योजना मद से अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 17.83 प्रतिशत है। इसी के अनुरूप सभी विभागो द्वारा बजट प्रावधान करवाये जा रहे **है**। अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है अत : इस योजना का उद्वेश्य उनके जीवन का सम्पूर्ण विकास कर उनके रहने व काम करने की दशा में समुचित सुधार लाना है।

मॉनिटरिंग– उपयोजना प्रभावी क्रियान्विति के लिए राज्य स्तर पर माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशन समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव भी सदस्य है तथा योजना से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति 5 अनुसूचित जाति के गैर सरकारी सदस्यों के (एक महिला सहित) मनोनयन करते हुए कार्यकारी विभागों के साथ कमेटी गठन का प्रावधान है। बैठक का आयोजन प्रतिमाह करने के निर्देश है।

योजना की वर्ष 2012–13 से 2018–19 में वित्तीय प्रावधान, व्यय राशि,एवं उनका प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

NAME OF THE STATE -RAJASTHAN

Flow Scheduled Caste Sub Plan and Expenditure

राशि करोडो में

Year / Plan	Budget provision (B.E.)			Revised Provision (R.E.)			Expenditure			
	State Plan	Flow to SCSP	% of SCSP Flow	State Plan	Flow to SCSP	% of SCSP Flow	State Plan	SCSP	% Exp. of State plan	%exp. of State plan Exp.
2012-13	33128.00	5689.61	17.17	37382.13	6286.64	16.82	32611.37	4935.50	13.20	15.13
2013-14	40139.00	6904.05	17.20	42498.81	7203.36	16.95	40040.05	5906.20	13.90	14.75
2014-15	69820.05	11693.76	16.75	66064.52	11244.10	17.02	55058.08	8399.90	12.71	15.25
2015-16	71405.78	12785.19	17.90	111784.03	20022.46	17.91	102370.46	17910.23	16.02	17.49
2016-17	99693.30	17840.00	17.89	95052.94	17654.183	18.00	88924.96	15410.91	16.21	17.33
2017-18	81157.97	14432.24	17.78	86094.45	14656.98	17.02	78057.60	13016.35	15.12	16.68
2018-19	107865.39	19149.67	17.75	105703.91	18672.30	17.66	100198.53	18407.80	17.41	18.40
2019-20	118055.66	21079.48	17.85							

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु. 3) विभाग

क्र. प.6(68)प्र.सु./अनु.3/2012 जयपुर दिनांक 04/09/2012

आज्ञा

अनुसूचित जाति उप योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति मूल्यांकन तथा दिशा-निर्देश देने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्न प्रकार से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का एतद्द्वारा गठन किया जाता है:-

1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री	अध्यक्ष
2.	अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
3.	अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
4.	अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, राज.अनु.जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर	सदस्य
8.	दो गैर सरकारी सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9.	योजना से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष	विशेष आमंत्रित
10.	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

यह समिति स्थाईरूप से गठित की जाती है, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय तक होगा। इस समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों, निगमों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तैयार की गई एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा करना और दलित वर्ग एवं विशिष्ठ क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजनाओं के अन्वेक्षण एवं मूल्यांकन पर विचार करना होगा। समिति इन योजनाओं की उपयोगिता एवं व्यवहारिकता पर भी विचार कर आवश्यक दिशा-निर्देश देगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान" होगा।

आज्ञा से,

(अ...)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक एफ 6(63)प्र.सु./अनु. 3/2012 जयपुर दिनांक: 05-09-2012

आज्ञा

अनुसूचित जाति उप योजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जिलों में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति, मूल्यांकन तथा दिशा–निर्देश देने हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से प्रत्येक जिले के लिए निम्न प्रकार से एक जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का एतद्द्वारा गठन किया जाता है–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3.	जिले से चुने हुए समस्त विधायकगण	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति वर्ग के पॉच गैर सरकारी सदस्य, जिनमें से एक महिला हो (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
5.	परियोजना प्रबन्धक, राज. अनु. जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	सदस्य
6.	उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

यह समिति स्थाईरूप से गठित की जाती है, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय तक होगा। इस समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है और इस बैठक का कार्य विवरण राज्य सरकार को भिजवाना होगा।

जिला कलक्टर आवश्यकतानुसार इससे सम्बन्धित अधिकारियों को इस बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे। इस समिति का यह दायित्व होगा कि वह अनुसूचित जाति उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की समीक्षा करें व इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करावें।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान" होगा।

आज्ञा से,

(आर.सी.गुप्ता)
उप शासन सचिव

137

क्रमांक एफ 6(८३)प्र.सु./अनु. 3/2012 जयपुर दिनांक: 05-09-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
4. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. अति.मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. समस्त सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव